

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1 से 3

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 अंतर्गत जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, खेलकूद, मेला, उत्सव, प्रदर्शनी, झांकी एवं संगोष्ठियों के आयोजन हेतु ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 4 से 6

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, खेलकूद, मेला, उत्सव, प्रदर्शनी, झांकी एवं संगोष्ठियों के आयोजन हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 7

नवीन 500 सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के दृष्टिगत प्रति समिति ₹ 1.50 लाख के मान से प्रबंधकीय अनुदान हेतु ₹ 750.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,50,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 8

नवीन 250 सहकारी समितियों को सक्षम बनाने राशि ₹ 1.50 लाख प्रति समिति के मान से अंशपूँजी के रूप में निवेश किये जाने हेतु ₹ 375.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,75,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है ।

मद क्रमांक 9

नवीन 500 पैक्स हेतु 200 मीट्रिक टन के गोदाम सह कार्यालय भवन के निर्माण (कुल लागत ₹ 130 करोड़) हेतु ₹ 7500.00 लाख का व्यय इस वर्ष संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 75,00,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है ।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 1

नवीन 190 सहकारी समितियों को सक्षम बनाने राशि ₹ 1.50 लाख प्रति समिति के मान से अंशपूजी के रूप में निवेश किये जाने हेतु ₹ 285.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,85,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है ।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 1

नवीन 60 सहकारी समितियों को सक्षम बनाने राशि ₹ 1.50 लाख प्रति समिति के मान से अंशपूँजी के रूप में निवेश किये जाने हेतु ₹ 90.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 90,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है ।